## F. No. 314/33/2002-FTT भारत

सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग उत्पाद एवं सीमा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड

## विषय: अपरिष्कृत हीरों के लिए किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना (केपीसीएस) – कार्यान्वयन – पंजीकरण

मुझे निर्देशित किया गया है कि मैं आपका ध्यान अधिसूचना क्र. 21/2002-07 की तरफ आकर्षित करूँ, जिसे तारीख 26-12-2002 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से निर्यात एवं आयात नीति के अनुच्छेद 2.2 को संशोधित करके जारी किया गया है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि अपिरष्कृत हीरों के किसी भी आयात या निर्यात की तब तक अनुमित नहीं दी जाएगी जब तक की रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक किम्बर्ली प्रोसेस (केपी) सर्टीफ़िकेट लदान (शिपमेंट) पार्सल के साथ जोड़ा ना गया हो। कृपया इसके बाद की अधिसूचना क्र. 23/2002-07 जिसे डीजीएफटी द्वारा तारीख 10-1-2003 को जारी किया गया है को देखें, जिसके तहत दो महिने की अवधि के लिए "लेटर ऑफ कम्फर्ट" को किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफ़िकेट के विकल्प के तौर पर स्वीकृती को सक्षम किया है जो संक्रमणकालीन व्यवस्था के तौर पर तारीख 1.1.2003 के आरंभ से लागू है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपने पत्र क्र. 12/13/2000-ईपी (जी एंड जे) तारीख 13-11-2002 के द्वारा किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना (केपीसीएस) की धारा IV (b) के अर्थ के भीतर जीजेईपीसी को "आयात एवं निर्यात प्राधिकरण" के तौर पर नियुक्त किया है।

- 2. अपरिष्कृत हीरों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना: "िकम्बर्ली प्रोसेस सर्टीिफिकेशन योजना" को इंटरलेकन, स्विट्जरलैंड में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में 5 नवंबर, 2002 को अपनाया गया। भारत ने इंटरलेकन जाहिरनामे पर हस्ताक्षर किए। इस योजना को संदेहास्पद हीरों की समस्या से निपटने के लिए विकसित किया गया है, जो मूलत: अपरिष्कृत हीरे होते हैं जिनका व्यापार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित है, क्योंकि इनके व्यापार से मिलनेवाला पैसा विद्रोही गुटों एवं उनके सहयोगियों द्वारा वैध सरकारों को कमज़ोर बनाने के लिए किया जाता है। इस योजना का विवरण <a href="http://www.worlddiamondcouncil.org/या www.kimberleyprocess.com">http://www.worlddiamondcouncil.org/या www.kimberleyprocess.com</a> इन वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- 3. केपी सर्टीफ़िकेट एक जालसाजी प्रतिरोधी दस्तावेज़ है जो विशिष्ट प्रारूप (एक नमूना प्रतिलिपि संलग्न किया गया है) में होता है, जो अपरिष्कृत हीरों की लदान, प्रमाणीकरण योजना (अर्थात केपीसीएस) के अनुपालन आवश्यकता के तहत हुई है या नहीं इसकी पहचान कराता है। केपी सर्टीफ़िकेट में शीर्षक "किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफ़िकेट", मूल देश, सर्टीफ़िकेट क्रमांक, जारी करने की तारीख, समाप्ति की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकरण, आयातक और निर्यातक का विवरण, कैरट वजन/प्रमाण, अमेरिकी डॉलर में मूल्य, लदान में

पार्सलों की संख्या, संबंधित एचएस कोड और निर्यात प्राधिकरण द्वारा सर्टीफ़िकेट का सत्यापन शामिल होता है। इसके आगे इसमें अतिरिक्त विवरण जैसे गुणवत्ता, लदान में अपरिष्कृत हीरों की विशेषताएं आदि भी हो सकते हैं।

4. केपीसीएस की आवश्यकताओं के अनुपालन के क्रम में, अपरिष्कृत हीरों की हर लदान के आयात एवं निर्यात पर लदान के साथ केपी सर्टीफ़िकेट जुड़ा होना चाहिए और योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होनी चाहिए:-

## आयात

ए) अपरिष्कृत हीरों की आयात लदान के साथ किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफ़िकेट (केपी सर्टीफ़िकेट) और आमतौर पर ऐसे लेन-देनों में प्रयुक्त होनेवाले आम व्यापार एवं आयात दस्तावेज़ जुड़े होने चाहिए। आयातकों ने आपूर्तिकर्ताओं को ज़रूरी सूचनाएं देनी चाहिए की निर्यात देश के उचित/नामित प्राधिकरण द्वारा जारी मूल केपी सर्टीफ़िकेट पार्सल के भीतर रखा होना चाहिए और सर्टीफ़िकेट क्रमांक कंटेनर पर लिखा होना चाहिए। लदान/पार्सल के आने पर या उससे पहले आयातक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि ने केपी सर्टीफ़िकेट की प्रतिलिपि और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को जीजेईपीसी को सत्यापन एवं प्रमाणीकरण हेतू प्रस्तुत करना चाहिए जैसे एयरवे बिल, चालान, पैकिंग सूची आदि। जीजेईपीसी दस्तावेज़ों की जाँच करेगी और उचित पाए जाने पर केपी सर्टीफ़िकेट की प्रतिलिपि पर निम्न समर्थन लिखेगी।

"चालान के दस्तावेज़ों को सत्यापित किया एवं उनपर हस्ताक्षर किए हैं और केपी सर्टीफ़िकेट को उचित पाया गया है।"

बी) अपरिष्कृत हीरों को छुड़ाने के लिए बिल ऑफ एंट्री को भरते समय आयातक/सीएचए को जीजेईपीसी द्वारा समर्थित केपी सर्टीफ़िकेट और साथ में ज़रूरी आयात दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। आयातक को केपी सर्टीफ़िकेट क्रमांक और तारीख को बिल ऑफ एंट्री की सभी प्रतिलिपियों पर वस्तुओं के सिटक विवरण को नीचे जाहिर करना है। लदान की कम से कम एक खेप की 25% भौतिक जाँच करने के बाद बिल ऑफ एंट्री का सामान्य तौर पर मूल्यांकन किया जाएगा। ग्राहक केपी सर्टीफ़िकेट की प्रतिलिपि को समर्थित करेंगे, जिसे जीजेईपीसी द्वारा सत्यापित किया गया है तािक वस्तुओं को बिल ऑफ एंट्री के क्रमांक और तारीख के साथ प्रस्तुत करके छुड़ाया जा सके और मूल प्रति को सहेजकर रखा जाए। जीजेईपीसी का अधिकृत प्रतिनिधि सीमा शुल्क विभाग द्वारा सहेजे गए सभी मूल केपी प्रमाणपत्रों को प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 6.00 बजे जमा करेगा और केपी सर्टीफ़िकेट (जीजेईपीसी द्वारा समर्थित) की प्रतिलिपि जो बिल ऑफ एंट्री के साथ लगाई गई थी को आयातक/सीएचए को वापस की जाएगी।

## निर्यात

सी) जीजेईपीसी द्वारा जारी केपी सर्टीफ़िकेट को निर्यात पार्सल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में, निर्यातक या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को निर्यात किए जाने वाले अपरिष्कृत हीरों की पैकिंग सूची को चालान के साथ केपी सर्टीफ़िकेट प्राप्त करने के लिए जीजेईपीसी को प्रस्तुत करना है। उचित जाँच के बाद जीजेईपीसी के नामित अधिकारी सभी प्रतिलिपियों पर सील और हस्ताक्षर (सभी प्रतिलिपियों पर मूल सील और हस्ताक्षर होंगे) के साथ क्रमित शृंखला के अनुक्रमांक इालकर तीन प्रतिलिपियों में केपी सर्टीफ़िकेट जारी करेंगे। एक प्रतिलिपि जीजेईपीसी द्वारा रखी जाएगी तथा दो हस्ताक्षरित प्रतिलिपियों निर्यातक या उसके प्रतिनिधि को सौंपी जाएगी। केपी सर्टीफ़िकेट की दो प्रतिलिपियों के साथ निर्यातक/सीएचए को शिपिंग बिल, चालान, पैकिंग सूची आदि प्रस्तुत करनी है। निर्यातक को शिपिंग बिल की सभी प्रतिलिपियों पर वस्तुओं के विवरण के नीचे केपी सर्टीफ़िकेट क्रमांक और तारीख इालनी है। केपी सर्टीफ़िकेट की मूल प्रतिलिपि को सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत करने से पहले निर्यात पार्सल में इालना है और जीजेईपीसी द्वारा दिए हुए क्रमित क्रमांक की सुरक्षा स्लीप को पार्सल पर चिपकाना है। सीमा शुल्क विभाग सभी लदानों को खोलेगा, केपी सर्टीफ़िकेट की प्रतिलिपि के साथ हर निर्यात पार्सल में रखे हुए मूल केपी सर्टीफ़िकेट को सत्यापित करेगा और हर लदान के कम से कम एक खेप के सिर्फ 25% को भौतिक रूप से जाँचेगा। वस्तुओं की जाँच के बाद, पार्सल में मूल केपी सर्टीफ़िकेट रखा है यह सुनिश्चित करके पार्सलों को सीमा शुल्क विभाग सील करेगा। केपी सर्टीफ़िकेट की एक प्रतिलिपि शिपिंग बिल की मूल प्रत के साथ जोड़ी जाएगी जबिक अन्य प्रतिलिपि को निर्यातक को सौंपा जाएगा। निर्यातक केपी सर्टीफ़िकेट की एक प्रतिलिपि को शिपिंग दस्तावेज़ों के साथ विदेशी खरीददार को भेजेगा तािक गंतव्य स्थल पर माल को छुड़ाया जा सके।

- डी) अपरिष्कृत हीरों के आयात-निर्यात लदानों को छुड़ाने की अन्य सभी प्रक्रियाएं वैसी ही रहेंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि अपरिष्कृत हीरों के आयात-निर्यात लदानों के निकासी की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे लदानों के साथ केपी सर्टीफ़िकेट जोड़ा ना गया हो, जैसा की पिछले अनुच्छदों में उल्लेखित किया है।
- 5. अपरिष्कृत हीरों की भौतिक आयात एवं निर्यात के मामले में उपरोक्त प्रक्रिया यथोचित परिवर्तन सिहत इओय्/एसइज़ेड इकाईयों पर भी लागू होंगी। इओय्/एसइज़ेड योजना के तहत आनेवाली इकाईयों के अपरिष्कृत हीरों के भौतिक आयात और निर्यात की निकासी की अनुमित तभी दी जाएगी जब अपरिष्कृत हीरों के ऐसे आयात एवं निर्यात लदान केपी प्रमाणपत्रों के साथ होंगे।
- 6. अगर अपरिष्कृत हीरों की लदान के साथ केपी सर्टीफ़िकेट नहीं जोड़ा होगा लेकिन अन्यथा सबकुछ सही होगा तो भारत के आयातक को उपरोक्त आयात लदान को छुड़ाने के लिए सात कार्य दिवस की अवधी मूल केपी सर्टीफ़िकेट की व्यवस्था करने के लिए दी जाएगी। अगर उपरोक्त सात दिनों की अवधि के भीतर अगर आयातक मूल केपी सर्टीफ़िकेट को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता तो माल को मूल देश के निर्यात प्राधिकरण (अर्थात प्रमाणीकरण प्राधिकरण) को वापस भेज दिया जाएगा। इस संदर्भ में सभी औपचारिकताओं को जीजेईपीसी द्वारा पूरा किया जाएगा और ऐसे लदानों को भेजने का खर्चा जीजेईपीसी द्वारा वहन किया जाएगा।
- 7. व्यक्तिगत सामान में अपरिष्कृत हीरों को आयात करने के मामले में, जब उसकी विशेष रूप से इओय्/एसइज़ेड जैसी निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत अनुमति दी गई हो, तब उपरोक्त प्रक्रिया यथोचित

परिवर्तन सिहत लागू होगी बशर्ते की अपरिष्कृत हीरों को प्रस्थान स्थल और साथ ही आगमन स्थल के सीमा शुल्क विभाग को जाहिर किया गया हो और अन्य दस्तावेज़ जैसे चालान, भुगतान की रसीद आदि को प्रवासी द्वारा आगमन स्थल पर प्रस्तुत किया गया हो। किसी भी उल्लंघन के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के तहत अगर अपरिष्कृत हीरे ज़ब्ती के लिए पात्र बनते हैं तो माल को पूरी तरह से सीमा शुल्क विभाग द्वारा ज़ब्त किया जाएगा।

- 8. इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए की केपीसी योजना के तहत, केपी सर्टीफ़िकेट जारी करते समय प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा माल की हमेशा भौतिक रूप से जाँच नहीं की जाती। उसी तरह, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद भी केपी सर्टीफ़िकेट जारी करते समय निर्यात लदान की भौतिक रूप से जाँच नहीं करती। इसलिए, आयात और निर्यात लदान की जाँच करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- 9. इस संदर्भ में सार्वजनिक सूचना जारी करके शायद व्यापक प्रचार किया जाएगा।
- 10. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति को सुनिश्चित करें।
- 11. हिंदी संस्करण जल्द ही जारी किया जाएगा।

सी.पी. गोयल एसटीओ (एफटीटी) फ़ोन 011-23093859